राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक – एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/स. माधोपुर/2019–20 24817-29 दिनांक : 21.6.19

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद,
सवाई माधोपुर।

विषय : नवीन हैण्डपम्प निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : आपका पत्रांक 2566 दिनांक 21.02.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 6135–44 दि. 30.01.2019 द्वारा नवीन हैण्डपम्प निर्माण कार्यो की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निम्नलिखित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या–7 अनुसार राशि रू. 1.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :–

कार्यकारी एजेन्सी– PHED सवाई माधोपुर (राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.पं./पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	नवीन हैण्डपम्प निर्माण कार्य कजोड़ मीना/गोपाल मीना के बाडा, बड़दावतों के घरों के तिराहे के पास	गालदकलां /बौली	6135–44 30.01.2019	0.80	46/15.02.19	0.80
2.	नवीन हैण्डपम्प निर्माण कार्य रामकरण मीना के घर के पास	गालदखुर्द / बौली	6135–44 30.01.2019	0.80	46/15.02.19	0.80
	योग			**1.60**		**1.60**

उपरोक्त कार्यो पर स्वीकृत राशि रू. 1.60 लाख की व्यवस्था अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत स्वीकृति संख्या 18/2018–19 द्वारा पेयजल योजना हेतु आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि में से होगी। **कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–**

1. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
3. ट्यूबवेल वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नही किया जावे।
4. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com में प्रेषित करें।
5. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
6. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जावे। कार्यो का सम्पादन कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कराया जावें।
7. कार्यो पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावें।
8. योजना निर्माण से पूर्व भू–जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त कर नल कुप/हैण्डपम्प/जल स्त्रोत का निर्माण/वैधन किया जावें।

21/6/19

(रामजीवन मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

कृ.पृ.उ.

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक – एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/स. माधोपुर/2019–20 दिनांक :

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बौली, जिला सवाई माधोपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत स्वीकृति संख्या 18/2018–19 द्वारा पेयजल योजना हेतु आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि से होगी, उपरोक्त कार्यो हेतु कॉलम संख्या 7 अनुसार स्वीकृत राशि 1.60 लाख रू. जिला परिषद, सवाई माधोपुर को हस्तान्तरित करावें।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर को संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)